भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1238

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**आपराधिक और दीवानी मामलों के निपटान की समय सीमा**

**1238. श्री पि. भट्टाचार्य :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक और दीवानी मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव है ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार न्यायिक सुधारों और लंबित अदालती मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई आयोग या समिति गठित करने का प्रस्ताव रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ख) :** विभिन्न न्याययालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। न्यायालय मे समय पर मामलों (सिविल और दांडिक) का निपटान अनेक कारको पर निर्भर करता है। जिनमे, अन्य बातों के साथ न्यायधीशों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृदं और भौतिक अवसंरचना, अंतर्विलित की जठिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ अन्वेषण अभिकरणो, साक्षीयों और मुकदमें बाजो का सहयोग और नियम तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग भी है।

**(ग) और (घ) :** अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में सभी उच्च न्यायालयों ने लंबित मामलों के बैकलॉग के समाशोधन के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु बकाया समितियों की स्थापना की है। बकाया समितियों ने अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्र में लंबित मामलों को कम करने के लिए कार्य योजनाओं की रुपरेखा प्रस्तुत की है । उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सूत्रबद्ध कदम उठाने के लिए एक बकाया समिति का गठन किया है। जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश दीर्घकाल से लंबित मामलों को कम करने के लिए मानीटरी हेतु सभी न्यायिक अधिकारियों की मासिक बैठक आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे को सुकर बनाने हेतु कई कदम उठाएं है। सरकार द्वारा न्याय परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य स्थिति में सुधार के लिए एक समन्वित प्रस्ताव को अपनाया है, जिसमें न्यायालयों के लिए अवसंरचना में सुधार करना, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावन और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायधीशों के रिक्त पदों को भरना भी शामिल है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*